Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 1 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति

(सरकारी प्रतिवेदनों एवं जनगणना आँकड़ों के आधार पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डॉ. मधुलिका श्रीवास्तव
प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय रीवा
जिला-रीवा (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति का सरकारी प्रतिवेदनों एवं जनगणना आँकड़ों के आधार पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिसमें भारत की जनगणना (1991, 2001, 2011), जिला जनगणना हस्तपुस्तिका रीवा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4 एवं NFHS-5), जिला शिक्षा विभाग रीवा के यू-डायस+ प्रतिवेदन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्वाचन संबंधी आँकड़ों का उपयोग किया गया है। अध्ययन में महिला साक्षरता दर, शैक्षणिक स्तर, विद्यालयी नामांकन में लिंग समता, लिंगानुपात, बाल विवाह दर, महिला श्रमशक्ति सहभागिता, स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व तथा मातृ स्वास्थ्य संकेतकों का प्रवृत्ति-विश्लेषण किया गया है। निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विगत तीन दशकों में रीवा जिले में महिला साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक सहभागिता में भी वृद्धि हुई है, तथापि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति

में अभी भी उल्लेखनीय अंतराल विद्‌यमान है। अंत में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में और सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द-

महिला शिक्षा, महिला साक्षरता, सामाजिक स्थिति, रीवा जिला, लिंगानुपात, बाल विवाह, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना-

किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। महिला शिक्षा न केवल व्यक्तिगत सशक्तिकरण का साधन है, अपितु यह परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र के समग्र विकास को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को शिक्षा एवं सामाजिक निर्णय-प्रक्रिया से दूर रखा जाता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की साक्षरता दर, आर्थिक सहभागिता तथा सामाजिक-राजनैतिक स्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न रही है। स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों, शिक्षा नीतियों एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए गए हैं।

मध्यप्रदेश का रीवा जिला बघेलखण्ड-विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जहाँ पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना तथा ग्रामीण-प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर रही है। तथापि विगत तीन दशकों में शिक्षा के प्रसार, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं तथा स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण जैसे उपायों के परिणामस्वरूप जिले में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जा रहे हैं।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह आवश्यक हो जाता है कि उपलब्ध सरकारी प्रतिवेदनों एवं जनगणना आँकड़ों के आधार पर रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में हुए परिवर्तनों का व्यवस्थित विश्लेषण किया जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का महिलाओं की स्थिति पर वास्तविक प्रभाव किस सीमा तक पड़ा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

शोध पत्र का उद्देश्य-

प्रस्तुत शोध पत्र के प्रमुख उद्देश्यों में रीवा जिले में महिला साक्षरता दर एवं शैक्षणिक स्तर की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना, जिले में विद्यालयी नामांकन के स्तर पर लिंग समता की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाले प्रमुख संकेतकों, जैसे लिंगानुपात, बाल विवाह दर, महिला श्रमशक्ति सहभागिता, स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधित्व एवं मातृ स्वास्थ्य की स्थिति का अध्ययन करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अध्ययन का उद्देश्य महिला शिक्षा एवं पुरुष शिक्षा के मध्य विद्यमान अंतराल की पहचान करना तथा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में और सुधार हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना भी है।

महत्व-

प्रस्तुत अध्ययन का महत्व इस दृष्टि से अत्यधिक बढ़ जाता है कि महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में सुधार किसी भी क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। रीवा जिले जैसे अपेक्षाकृत परंपरागत सामाजिक संरचना वाले क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण नीति-निर्माताओं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों

तथा महिला कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। यह अध्ययन उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायक होगा, जहाँ महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु अतिरिक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से लिंग-आधारित सामाजिक असमानता के विश्लेषण में भी योगदान देगा।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रविधि पर केंद्रित है। अध्ययन हेतु आवश्यक आँकड़े भारत की जनगणना (1991, 2001, 2011) के प्रतिवेदनों, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका रीवा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ एवं पंचम चक्र (NFHS-4, 2015-16 तथा NFHS-5, 2019-21) के जिला तथ्य पत्रकों, जिला शिक्षा विभाग रीवा के यू-डायस+ (UDISE+) प्रतिवेदनों, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्वाचन संबंधी अभिलेखों तथा मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिवेदनों से संग्रहित किए गए हैं। संग्रहित आँकड़ों को सुसंगत रूप से सारणीबद्ध कर प्रतिशत विधि एवं प्रवृत्ति-विश्लेषण के माध्यम से उनका विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक सारणी में संबंधित आँकड़ों का स्रोत स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है, जिससे आँकड़ों की प्रामाणिकता एवं सत्यापन-योग्यता सुनिश्चित हो सके। जहाँ आवश्यक हुआ है, वहाँ नवीनतम वर्ष के आँकड़ों को उपलब्ध प्रवृत्तियों के आधार पर अनुमानित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

रीवा जिले में महिला शिक्षा-

रीवा जिले में महिला शिक्षा के प्रसार हेतु समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनमें बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्यपुस्तक वितरण, साइकिल वितरण योजना तथा कन्या छात्रावासों की स्थापना प्रमुख हैं। इन प्रयासों के

परिणामस्वरूप जिले में बालिकाओं के विद्यालयी नामांकन एवं शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, तथापि उच्च शिक्षा स्तर पर जाने के साथ-साथ महिलाओं की सहभागिता में क्रमशः कमी भी परिलक्षित होती है।

सारणी 1

रीवा जिले में महिलाओं का शैक्षणिक स्तरानुसार वितरण (2021, अनुमानित)

शैक्षणिक स्तर	**महिलाओं का प्रतिशत**
निरक्षर	26.4
प्राथमिक स्तर	28.7
माध्यमिक स्तर	22.5
उच्च माध्यमिक स्तर	14.8
स्नातक एवं उच्चतर	7.6
योग	100.0

स्रोत : जिला जनगणना रीवा (भारत की जनगणना, 2011) एवं जिला शिक्षा विभाग रीवा के वार्षिक प्रतिवेदन (2022-23) के आधार पर अनुमानित।

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में लगभग 26.4 प्रतिशत महिलाएँ अभी भी निरक्षर हैं, जबकि सर्वाधिक 28.7 प्रतिशत महिलाओं ने प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। माध्यमिक स्तर तक 22.5 प्रतिशत तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक मात्र 14.8 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं, जबकि स्नातक अथवा उससे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम, केवल 7.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि जिले में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर

महिलाओं की सहभागिता अपेक्षाकृत अच्छी है, परंतु शिक्षा के उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ने के साथ महिलाओं की संख्या में क्रमिक कमी होती जाती है, जो सामाजिक-आर्थिक कारणों, बाल विवाह की प्रवृत्ति तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की सीमित उपलब्धता से जुड़ी हुई प्रतीत होती है।

सारणी 2

रीवा जिले में विद्यालयी स्तरानुसार लिंग समता सूचकांक (Gender Parity Index)

विद्यालयी स्तर	लिंग समता सूचकांक (GPI)
प्राथमिक स्तर	0.98
माध्यमिक स्तर	0.94
उच्च माध्यमिक स्तर	0.89
स्नातक स्तर	0.81

स्रोत : जिला शिक्षा विभाग रीवा, यू-डायस+ (UDISE+) प्रतिवेदन, 2022-23।

सारणी 2 से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर पर लिंग समता सूचकांक 0.98 है, जो दर्शाता है कि इस स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के नामांकन में लगभग समानता है। तथापि जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर ऊँचा होता जाता है, यह सूचकांक क्रमशः घटता जाता है और स्नातक स्तर पर यह मात्र 0.81 रह जाता है। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उच्च शिक्षा स्तर पर बालिकाओं का ड्रॉप-आउट अनुपात बालकों की तुलना में अधिक है, जिसके पीछे बाल विवाह, घरेलू दायित्व, आर्थिक सीमाएँ तथा उच्च शिक्षा संस्थानों की दूरी जैसे कारक उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

महिला साक्षरता-

साक्षरता दर किसी भी क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार एवं सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। रीवा जिले में महिला साक्षरता दर का पुरुष साक्षरता दर से तुलनात्मक विश्लेषण यह स्पष्ट करने में सहायक होता है कि जिले में लिंग-आधारित शैक्षणिक अंतराल किस दिशा में परिवर्तित हो रहा है।

सारणी 3

रीवा जिले में साक्षरता दर का लिंगानुसार तुलनात्मक विवरण (1991-2021)

वर्ष	पुरुष साक्षरता दर (%)	महिला साक्षरता दर (%)	लिंग अंतराल (प्रतिशत बिंदु)
1991	58.3	29.4	28.9
2001	73.5	48.6	24.9
2011	82.1	60.4	21.7
2021 (अनुमानित)	87.6	68.9	18.7

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001 एवं 2011; वर्ष 2021 के आँकड़े जिला शिक्षा विभाग रीवा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुमानित।

सारणी 3 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में महिला साक्षरता दर सन् 1991 में मात्र 29.4 प्रतिशत थी, जो 2021 में अनुमानतः 68.9 प्रतिशत तक पहुँच गई है, अर्थात तीन दशकों में इसमें लगभग दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई है। इसी अवधि में पुरुष साक्षरता दर 58.3 प्रतिशत से बढ़कर 87.6 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि दोनों वर्गों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हुई है, तथापि

लिंग अंतराल भी धीरे-धीरे कम हुआ है – यह 1991 में 28.9 प्रतिशत बिंदु था, जो 2021 में घटकर 18.7 प्रतिशत बिंदु रह गया है। यह दर्शाता है कि यद्यपि महिला साक्षरता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, फिर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी पर्याप्त रूप से पीछे है, जो शिक्षा के क्षेत्र में लिंग-आधारित असमानता की निरंतरता को इंगित करता है।

सामाजिक स्थिति का विश्लेषण-

इस भाग में रीवा जिले में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाले प्रमुख संकेतकों लिंगानुपात, बाल विवाह दर, महिला श्रमशक्ति सहभागिता, स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधित्व तथा मातृ स्वास्थ्य की स्थिति का द्वितीयक स्रोतों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति-

सारणी 4

रीवा जिले में लिंगानुपात की दशकीय प्रवृत्ति (1991-2021)

वर्ष	**लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष महिलाएँ)**
1991	928
2001	933
2011	941
2021 (अनुमानित)	946

स्रोत : भारत की जनगणना, 1991, 2001 एवं 2011; वर्ष 2021 के आँकड़े नमूना पंजीयन प्रणाली (SRS) बुलेटिन, 2020-21 के आधार पर अनुमानित।

सारणी 4 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में लिंगानुपात सन् 1991 में 928 से निरंतर सुधार करते हुए 2021 में अनुमानतः 946 तक पहुँच गया है। यह सुधार यद्यपि सकारात्मक संकेत है, परंतु राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह अभी भी अपेक्षाकृत निम्न है, जो यह दर्शाता है कि जिले में बालिकाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव की प्रवृत्ति अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है, यद्यपि इसमें क्रमिक कमी अवश्य आई है।

बाल विवाह की स्थिति-

सारणी 5

रीवा जिले में 18 वर्ष से पूर्व विवाहित महिलाओं (20-24 वर्ष आयु वर्ग) का प्रतिशत

सर्वेक्षण चक्र	18 वर्ष से पूर्व विवाहित महिलाओं का प्रतिशत
NFHS-4 (2015-16)	32.8
NFHS-5 (2019-21)	26.4

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चतुर्थ चक्र (NFHS-4) एवं पंचम चक्र (NFHS-5), जिला तथ्य पत्रक, रीवा।

सारणी 5 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में 18 वर्ष से पूर्व विवाहित महिलाओं (20-24 वर्ष आयु वर्ग) का प्रतिशत NFHS-4 (2015-16) में 32.8 प्रतिशत से घटकर NFHS-5 (2019-21) में 26.4 प्रतिशत हो गया है। यह कमी बाल विवाह निषेध कानून के प्रति बढ़ती जागरूकता, बालिका शिक्षा के प्रसार तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों के प्रभाव को दर्शाती है, तथापि यह प्रतिशत अभी भी राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अधिक है, जो दर्शाता है कि इस दिशा में और प्रयासों की आवश्यकता है।

महिला श्रमशक्ति सहभागिता-

सारणी 6

रीवा जिले में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर की प्रवृत्ति

वर्ष	**महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर (%)**
2001	19.8
2011	24.6
2021 (अनुमानित)	29.3

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 एवं 2011; वर्ष 2021 के आँकड़े मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के आधार पर अनुमानित।

सारणी 6 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में महिला श्रमशक्ति सहभागिता दर सन् 2001 में 19.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में अनुमानतः 29.3 प्रतिशत तक पहुँच गई है। शिक्षा के प्रसार, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा सेवा एवं लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों ने महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व-

सारणी 7

रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व (नवीनतम निर्वाचन)

संस्था का स्तर	**कुल निर्वाचित प्रतिनिधि**	**महिला प्रतिनिधि**	**महिला प्रतिशत**

ग्राम पंचायत सदस्य	5,200	2,652	51.0
सरपंच (ग्राम पंचायत अध्यक्ष)	780	396	50.8
जनपद पंचायत सदस्य	260	132	50.8
जिला पंचायत सदस्य	34	17	50.0

स्रोत : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, जिला पंचायत निर्वाचन प्रतिवेदन, रीवा।

सारणी 7 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, जो महिला आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। यह आँकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि औपचारिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यद्यपि वास्तविक निर्णय-प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधियों की स्वतंत्र भूमिका की सीमा एक अलग विश्लेषण की विषयवस्तु हो सकती है।

मातृ स्वास्थ्य की स्थिति-

सारणी 8

रीवा जिले में मातृ स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संकेतक

संकेतक	**NFHS-4 (2015-16) (%)**	**NFHS-5 (2019-21) (%)**
संस्थागत प्रसव	78.6	89.2

प्रसवपूर्व जाँच (4 अथवा अधिक बार)	46.3	58.7

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, चतुर्थ चक्र (NFHS-4) एवं पंचम चक्र (NFHS-5), जिला तथ्य पत्रक, रीवा।

सारणी 8 से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत NFHS-4 में 78.6 प्रतिशत से बढ़कर NFHS-5 में 89.2 प्रतिशत हो गया है तथा पर्याप्त प्रसवपूर्व जाँच करवाने वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 46.3 से बढ़कर 58.7 हो गया है। यह सुधार जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत तथा आँगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है, जिससे महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विगत तीन दशकों में रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय एवं सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। महिला साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी नामांकन में लिंग समता की स्थिति लगभग संतोषजनक हो गई है, लिंगानुपात में सुधार हुआ है, बाल विवाह दर में कमी आई है, महिला श्रमशक्ति सहभागिता बढ़ी है तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग समानता के स्तर तक पहुँच गया है। इसके साथ ही मातृ स्वास्थ्य संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हुआ है। तथापि उच्च शिक्षा स्तर पर लिंग समता सूचकांक में कमी, पुरुष एवं महिला साक्षरता दर के मध्य अंतराल की निरंतरता तथा राष्ट्रीय औसत की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न लिंगानुपात यह दर्शाते हैं कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि रीवा जिले में महिला शिक्षा एवं

सामाजिक स्थिति सुधार की सही दिशा में अग्रसर है, परंतु शेष अंतरालों को दूर करने हेतु निरंतर एवं केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

सुझाव-

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर यह सुझाव दिया जाता है कि उच्च शिक्षा स्तर पर बालिकाओं के ड्रॉप-आउट को रोकने हेतु कन्या महाविद्यालयों एवं छात्रावासों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति में आने वाली आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करने हेतु छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बाल विवाह की प्रवृत्ति को पूर्णतः समाप्त करने हेतु ग्राम स्तर पर सतत जागरूकता कार्यक्रम तथा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लिंगानुपात में और सुधार हेतु कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। महिला श्रमशक्ति सहभागिता को और प्रोत्साहित करने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण, सुरक्षित कार्य-परिस्थितियों एवं समान वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक निर्णय-क्षमता को सशक्त बनाने हेतु उन्हें नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे औपचारिक प्रतिनिधित्व वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण में परिवर्तित हो सके।

संदर्भ

1. जनगणना निदेशालय (1991, 2001, 2011). जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, रीवा। भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) (2016, 2021). राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 एवं -5 : जिला तथ्य पत्रक, रीवा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मुंबई।

3. जिला शिक्षा विभाग, रीवा (2023). यू-डायस+ (UDISE+) वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23। रीवा (म.प्र.)।

4. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन (2023). जिला पंचायत निर्वाचन प्रतिवेदन, रीवा। भोपाल।

5. मध्यप्रदेश शासन (2023). मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।

6. पंजीयक जनरल भारत (2021). नमूना पंजीयन प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय प्रतिवेदन, 2020-21। भारत सरकार, नई दिल्ली।

7. शर्मा, आर.एन. (2019). भारत में महिला शिक्षा एवं सामाजिक स्थिति। रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

8. वर्मा, एस.पी. (2020). लिंग एवं समाज : भारतीय परिप्रेक्ष्य। न्यू सेंचुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

9. भारत सरकार (2023). आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

10. मिश्रा, के.एन. (2018). महिला सशक्तिकरण एवं स्थानीय स्वशासन। अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।